न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट कैम्प चौलुखां, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2021 दायर दिनाँक 02.11.2021

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार।

प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम– 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 02.11.2021

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनाँक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक रास्ता/रास्ता अभियान/2021/राजस्व/कोर्ट कैम्प दौलतपुरा में दिनाँक 02.11.2021 के द्वारा ग्राम–**खिंचिया बासनी** पटवार मण्डल– **चौलुखां** खेत खसरा सं0 **392/390** की सरहद में संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनाँक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालु रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार ग्राम–**खिंचिया बासनी** पटवार मण्डल– **चौलुखां** खेत खसरा सं0 **392/390** का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। संलग्न सूची व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम हों।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प चौलुखां

निर्णय आज दिनाँक 02.11.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प चौलुखां

Scanned with CamScanner